(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),मुकाम–सिरोही(राज.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सकुबाई पत्नि स्व. मोडाराम जाति मेघवाल नि. दक्षिण मेघवालवास सिरोही के कायम मुकाम छगनलाल पुत्र अचलाजी जाति मेघवाल नि. खाम्बल		छगनलाल पुत्र श्री पुराजी जाति मेघवाल नि. मांकरोडा व अन्य

किस्म मुकदमा,
राजस्व वाद अ.धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट — राजस्व वाद सं. 04 / 2017

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08–12–2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान व वादी छगनलाल उपस्थित। प्रकरण में वादी जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है यह कि राजस्व ग्राम सिरोही, के खसरा संख्या 3372 किस्म बारानी 1 रकबा 1.1700 हेक्टेयर की कृषि स्वर्गीय भावा वल्द धुलाजी के जीवनकाल में उनके पुत्रगण– पुराजी व चेनाजी एवं पुत्री धरमी के मध्य हुये उक्त पारिवारिक सेटलमेन्ट में वर्णित कृषि भूमि पुराजी पुत्र भावाजी एवं उनके वंश वारिसान अर्थात प्रतिवादीगण के हक में आई हुई होना सही एवं सत्य मानते हुये तथा आयन्दा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मालकाना हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की होना स्वीकार करते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। जिससे वादी इस वाद को अब आगे नही चलाना चाहता हूँ एवं इस वाद पत्र को लोक अदालत की भावना से जरिये राजीनामा विड्रो करना चाहता हूँ। वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है, एवं भविष्य में रहेगी। जिसमे वादी एवं अन्य किसी भी वंश वारिसान का कोई मालकाना हक अधिकार, स्वत्व या कब्जा नही है। एवं उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में आयन्दा वादी तथा उनके अन्य किसी वंश वारिसान को किसी प्रकार का कोई खातेदारी हक अधिकार, कब्जा या स्वत्व जताने या बताने का अधिकार नही रहेगा। वर्णित कृषि भूमि को आयन्दा प्रतिवादीगण बतौर खातेदार कृषक आपकी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग कर सकेगे तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को उनकी इच्छानुसार विक्रय, बक्षीस, वसीयत, रहन, लीज या अन्य प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगे, कृषि भूमि को आवासीय या अन्य प्रयोजनार्थ रूपानन्तरित करवा सकेगे। जिसमें वादी एवं मेरे अन्य किसी वंश वारिसान को भविष्य में किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं रहेगा। उक्त भूमि के सम्बन्ध में आयन्दा वादी एवं उनके अन्य किसी वंश वारिसान को राजस्व न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय में वाद या कार्यवाही प्रस्तुत करने का अधिकार किसी भी रूप से नही रहेगा।	

जिसमे वादी एवं मेरे वंश वारिसान को भविष्य में किसी प्रकार का कोई उजर एतराज करने का अधिकार नही रहेगा।

अतः वादी का राजीनामा प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिया जाकर इस वादपत्र को जरिये राजीनामा विड्रो करना फरमावें।

हमने वकील वादी द्वारा प्रस्तुत पक्षकारान के राजीनामा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन कर उस पर मनन किया। चुँकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक आदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है जिससे उक्त प्रकरण को अब आगे चलाने को काई औचित्य नही होने से विचाराधीन उक्त राजस्व वाद अ.धारा 88, 188 आरटी एक्ट को जरिये पक्षकारान के मध्य वर्णित राजीनामा अनुसार जरिये राजीनाम विड्रो किया जाता है । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)